

पिछले सत्र में काम कर चुके जिन आवेदकों को ई अटेंडेंस नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक रही है, केवल वही इस सत्र में री जोईनिंग के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे. विभाग ने साफ कर दिया है कि जो अतिथि शिक्षक निर्धारित समय सीमा में एप के माध्यम से अपनी डिजिटल हाजिरी दर्ज नहीं करेंगे, उस दिन का उनका मानदेय जनरट नहीं किया जाएगा. इसके अलावा यदि कोई अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो उसे मानदेय की पात्रता ही नहीं होगी.